कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 773 दिनांक – 29/07/21

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

विषय– टण्डवा प्रखण्ड अंतर्गत मे0 एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 1451 दिनांक 14.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मे0 एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हार्डकॉपी एवं online इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच की गई जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है जो निम्नवत् है :–

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाले मैनुअल Form-A Part-I, NPV/CA की राशि भुगतान करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र जिनपर प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित हो उसे प्रवेश पोर्टल पर Additional Document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।

(ख) वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा मैनुअल पार्ट 2 जिसपर नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित हो उसे प्रवेश पोर्टल पर Additional Document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी जिसे संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है, की हस्ताक्षरित प्रति Additional Document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय। साथ ही भूमि विवरणी में लम्बाई एवं चौड़ाई अंकित होना अनिवार्य है।

(घ) अपयोजित होने वाले वनभूमि में प्रभावित वृक्षों का Joint Tree Enumeration List में कुल Enumerated प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा उनमें से कितने वृक्षों का पातन अनिवार्य रूप से किया जाना है की संख्या प्रतिवेदित होना आवश्यक है इससे संबंधित गणना सूची की सत्यापित प्रति Additional Document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।

2. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु Geo-reference map में ग्रॉस रकवा एवं प्लॉट नं0 अंकित नहीं है। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को Haching भी नहीं किया गया है। प्रस्तावित स्थल को Haching करते हुए Index में दर्शाना अनिवार्य है तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference map पर संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। इसे संशोधित किया जाय।

अतः आपके द्वारा समर्पित हार्डकॉपी एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित हार्डकॉपी एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

28/07/21

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

28/7/2021